

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

पत्रांक- 152/25

दिनांक: 07.05.2021

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-1948/LXXXVII-CPC/e-Court/Allahabad दिनांकित 05-05-2021 के माध्यम से पूर्व प्रेषित पत्र संख्या -1946/LXXXVII-CPC/e-Court, दिनांकित-26-04-2021, पत्र संख्या-1945/LXXXVII-CPC/e Court, दिनांकित 22-04-2021, पत्रांक 1944/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 14-04-2021 तथा पत्र संख्या-1941/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 05-04-2021 में दी गयी व्यवस्था को संशोधित करके जिला न्यायालयों के संचालन हेतु यह निर्देशित किया गया है कि हाई पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांकित 26-04-2021 के निर्देशो एवं पत्र संख्या 1946/LXXXVII-CPC/e-Court, दिनांकित-26-04-2021 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन हेतु चार न्यायिक अधिकारीगण को न्यायालयों के कार्य के संचालन के लिये रोटेशन के अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मेरे द्वारा पूर्व पारित आदेश संख्या 147/XV दिनांकित 03-05-2021, आदेश संख्या 149/XV दिनांकित 05-05-2021, में आंशिक संशोधन करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र दिनांकित 05-05-2021 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय, गाजीपुर में स्थित न्यायालयों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है, जो दिनांक 10-05-2021 से अग्रिम आदेश तक लागू होगी जिनकी कार्यावधि प्रातः 10:30 से अपराहन 02:30 बजे तक होगी।

निम्नलिखित सारणी के अनुसार अधिकारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा-

क्रम सं०	न्यायालय जिसके पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य किया जाना है	तिथि जिस दिन कार्य किया जायेगा	न्यायालयों जिनका कार्य किया जायेगा।
1	श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, गाजीपुर। व श्री शरद कुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।  तथा श्री विष्णु चन्द्र वैश्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ प्रथम त्वरित न्यायालय, गाजीपुर। व श्रीमती शाम्भवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर	दिनांक 10-05-2021 से 17-05-2021 तक	जेल में निरुद्ध बन्दियों के परोल/अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए।  न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर व समस्त विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।  समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय।

2	<p>श्री रामसुध सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, गाजीपुर।</p> <p>व</p> <p>श्री घनश्याम शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।</p> <p><b>तथा</b></p> <p>श्री लक्ष्मी कान्त राठौर, विशेष न्यायाधीश, ई०सी० एक्ट, गाजीपुर।</p> <p>व</p> <p>श्री आदर्श अमोल, अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट संख्या-01 गाजीपुर।</p>	<p>दिनांक 18-05-2021 से 26-05-2021 तक</p>	<p>जेल में निरुद्ध बन्दियों के पेरोल/अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए।</p> <p>न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर व समस्त विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।</p> <p>समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय।</p>
3	<p>श्री मनराज सिंह, पाक्सो न्यायाधीश- प्रथम, गाजीपुर।</p> <p>व</p> <p>श्री स्वरूप आनन्द, सिविल जज (सी०डि०), गाजीपुर</p> <p><b>तथा</b></p> <p>श्री संजय कुमार यादव, द्वितीय त्वरित न्यायालय, गाजीपुर।</p> <p>व</p> <p>सुश्री अनामिका चौहान, अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट संख्या-04, गाजीपुर</p>	<p>दिनांक 27-05-2021 से 05-06-2021 तक</p>	<p>जेल में निरुद्ध बन्दियों के पेरोल/अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए।</p> <p>न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर व समस्त विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।</p> <p>समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय।</p>
4	<p>श्री प्रशांत मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।</p> <p>व</p> <p>सुश्री गंगा शर्मा, सिविल जज (जू०डि०), गाजीपुर</p> <p><b>तथा</b></p> <p>श्री गुलाब सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, गाजीपुर।</p> <p>व</p> <p>श्री आदर्श अमोल, अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट संख्या-01 गाजीपुर।</p>	<p>दिनांक 07-06-2021 से 12-06-2021 तक</p>	<p>जेल में निरुद्ध बन्दियों के पेरोल/अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए।</p> <p>न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर व समस्त विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।</p> <p>समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय।</p>

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान अंकित किये जाने एवं रिमाण्ड हेतु अलग से आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

वाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद ग जीपुर में वर्तमान समय में एक ही न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानीय बार अध्यक्ष/सचिव, से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सारणी में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश / अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी संबंधित न्यायालय का कार्य सम्पादित करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त संचालित न्यायालयों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान केवल निम्नलिखित प्रार्थनापत्रों पर ही विचार किया जायेगा-

A- नवीन जमानत प्रार्थनापत्र।

B- नवीन रिलीज प्रार्थनापत्र।

C- धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान का अंकन।

D- विचाराधीन बंदियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र / रिमाण्ड, विडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निस्तारित

किया जायेगा।

उपरोक्त वादों / प्रार्थनापत्रों की सुनवाई / निस्तारण विडियोकॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया जायेगा। सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिस्टम आफिसर द्वारा जनपद न्यायालय गाजीपुर अधिष्ठान हेतु एक अधिकृत ईमेल [ghazipurfilling@gmail.com](mailto:ghazipurfilling@gmail.com) तैयार की गयी है। उक्त ई-मेल आई०डी० का प्रयोग उपरोक्त वर्णित अर्जेन्ट प्रार्थनापत्रों के प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है। ऐसे सभी प्रार्थनापत्रों पर संबंधित अधिवक्ता वादकारियों का पूर्ण विवरण, मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई०डी० अंकित होना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रकार के सभी प्रार्थनापत्रों को डाउनलोड कर उनकी आवश्यक सूची तैयार की जायेगी तथा कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्राप्त कराये जायेगे। इस संदर्भ में सिस्टम आफिसर / कोर्ट मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त ई-मेल आई०डी० जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में अग्रिम आदेश तक विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण, स्टाम्प विक्रेता, मुंशी आदि का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय, गाजीपुर में उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु एक बार में अधिकतम 10 कर्मचारी की ही उपस्थिति न्यायालय परिसर में होगी। जिन न्यायिक अधिकारियों को कार्य हेतु बुलाया गया है, वे न्यायिक अधिकारी नियत तिथि को अपने न्यायालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मात्र एक-एक कर्मचारी को ही न्यायालय में बुलायेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में इस आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र एवं दिशा-निर्देशों की प्रति इस अधिष्ठान के समस्त न्यायिक अधिकारीगण के मध्य अनुपालन हेतु परिचालित की जाये तथा प्रतिष्ठान के समस्त कर्मचारीगण अनुपालन हेतु सूचित हो। सभी पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह कोविड-19 के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का

पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1941/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 05-04-2021, पत्र संख्या-1944/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 14-04-2021 तथा पत्र संख्या-1945/LXXXVII-CPC/e-Court दिनांकित 22-04-2021 व 1946/LXXXVII-CPC/e-Court, दिनांकित-26-04-2021 के अनुपालन में पूर्व में पारित आदेश के समस्त दिशा-निर्देश इस आदेश के अधीन यथावत रहेंगे।

वर्चुअल कोर्ट / विडियोकान्फ्रेंसिंग हेतु अधिकारीगण अपने आवासीय कार्यालय अथवा न्यायालय स्थित विडियोकान्फ्रेंसिंग रूम का प्रयोग करेंगे। विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय परिसर के बाहर से विडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु JITSI MEET साफ्टवेयर का प्रयोग करके आनलाइन माध्यम से कार्य कर सकेंगे। कम्प्यूटर विभाग में कार्यरत कर्मचारीगण से अधिकारीगण व विद्वान अधिवक्तागण विडियोकान्फ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

सिस्टर आफिसर / कोर्ट मैनेजर इस आदेश को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि वे उपरोक्त न्यायालयों के संचालन की उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

तदनुसार समस्त संबंधित सूचित हो।

Dr. / 7.5.21  
(प्रशांत मिश्र,  
जनपद न्यायाधीश  
गाजीपुर)

दिनांक 07.05.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 3- समस्त न्यायिक अधिकारीगण।
- 4- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
- 6- जेल अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।
- 7- जिला प्रोवेशन अधिकारी, गाजीपुर।
- 8- जिला सूचना अधिकारीगाजीपुर,को दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 9- अध्यक्ष /महासचिव समस्त बार एसोसिएशन , गाजीपुर।

Dr. / 7.5.21  
(प्रशांत मिश्र,  
जनपद न्यायाधीश  
गाजीपुर)

दिनांक 07.05.2021